(11)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

कदमा नम्बर 82/2018

दायर दिनांक–14–08–2018

1 रतनकवंर पत्नी श्री मदन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम टोडा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.) जरिये मुख्त्यारआम श्री नत्थूसिंह पुत्र रधुवीर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज.)

– आवेदकगण

बनाम

1. दातारकंवर पत्नी भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम जमाना डेयरी, न्यू सांगानेर रोड सोडाला जयपुर।
2. गट्टूकंवर पत्नी मूलसिंह राठौड जाति राजपूत निवासी रसीदपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)
3. नीतूकंवर पत्नी महेन्द्र सिंह राठौड जाति राजपूत निवासी गाडियाकला तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)
4. सुप्यार कंवर पत्नी मदन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज.)
5. अजीतसिंह पुत्र मदन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज.)
6. राजपाज सिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज.)
7. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज.)

–अनावेदकगण

वकील आवेदकगण : – श्री किशोर कुमार जांगिड़
वकील अनावेदकगण :–

प्रार्थना पत्र अ.धा. 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व
अ.धा. 39 नियम 1 व 2 तथा धारा 151 जा. दीवानी

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 25.04.2022

प्रार्थपा पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– राजस्व ग्राम रामपुरा पटवार हल्का चिराना की सरहद में आराजी नए खसरा नंबर 28 रकबा 3.05 हैक्टर स्थित है जो आवेदक की कब्जे में काश्त व खातेदारी की भूमि है आवेदक की भूमि के पास ही आराजी नये खसरा नंबर 27 रकबा 3.06 हैक्टर स्थित है जो अनावेदक नंबर 1लगायत 6 के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है। उपरोक्त भूमि खसरा नंबर 28 के पूर्व में खसरा नंबर खसरा 1287/2 व खसरा नम्बर 27 के पूर्व में खसरा नंबर 1287/रकबा 6.11 हैक्टर थे।

उपरोक्त वर्णित खसरा नंबर 1287 रकबा 6.11 हेक्टर के खातेदार पूर्व में मदन सिंह, रघुवीर सिंह पुत्रान सवाई सिंह थे जिनका उक्त आराजी खसरा नंबर 1287 रकबा 6.11 हेक्टर में बराबर बराबर हिस्सा था वह दोनों खातेदारान मदन सिंह व सवाई सिंह ने अपने हिस्से के अनुसार उक्त आराजी का बंटवारा कर लिया और अपने अपने हिस्से के अनुसार मौके पर काबिज काश्त हो गए विभाजन के अनुसार खसरा नंबर 1287/2 रकबा 3.05 हेक्टर, जिसमें वर्तमान खसरा नंबर 28 रकबा 3.06 हैक्टर बने। जो रघुवीर सिंह पुत्र सवाई सिंह के हिस्से में आई जिसके रघुवीर सिंह पुत्र सवाई सिंह खातेदार हो गए व खसरा नंबर 1287/1 रकबा 3.06 हेक्टर जिसके वर्तमान खसरा नंबर 27 रकबा 3.06 हैक्टर, है जो मदन सिंह पुत्र सवाई सिंह के हिस्से में आई जिसकी खातेदारी मदन सिंह पुत्र सवाई सिंह के नाम से दर्ज हो गई उक्त विभाजन का [illegible] संख्या 428 दिनांक 17.06.1992 दर्ज हुआ है इसी अनुसार हक अधिकार थे। उक्त विभाजन के अनुसार [illegible] खसरा नंबर 1287 की भूमि का बराबर बराबर अंकन करना चाहिए था विभाजन दौरान खसरा नंबर 1287 के नक्शे में विभाजन के अनुसार दो टुकड़े खसरा नंबर 1287/1 व 1287/2 बनाए गए जिनके सही तरीके से नक्शे में जमाबन्दी में [illegible] खातेदारी के अनुसार नाप जोख कर करना चाहिए था परन्तु राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा विभाजन [illegible] नक्शे में तरमीम करके समय लापरवाही पूर्व बिना नाज जोख किये ही आवेदक की खातेदारी की भूमि पुराने खसरा नम्बर 1287/2 रकबा 3.05 हैक्टर (नये खसरा नम्बर 28 रकबा 3.05) का नक्शा छोटा बना दिनया जिसके अनुसार खेत खसरा नम्बर 1287/2 नक्शे में छोटा हो गया व खेत खसरा नम्बर 1287/1 नक्शे में बडा हो गया। जिसका राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों को कोई अधिकार नहीं था जिन्होने विधि विरूद्ध रूप से उक्त नक्शें की गलत

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:18:44 IST
Reason: Self Attested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ़

रमीम की है जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। जिसके लिए वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया ।

उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर 1287/2 व 1287/1 का नक्शा उनकी खातेदारी में दर्ज रकबे के नुनसार सीट के पैमाने के अनुसार नाप जोख कर बनाना चाहिए था। परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने अपनी मर्जी से बेना अपनी मर्जी से बिना किसी नाप जोख कर उक्त विभाजन की गलत तरमीत कर दी। जिसके अनुसार प्रावेदक के हक अधिकारों व खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 28 का नक्शा राजस्व कर्मचारियों द्वारा उसके खातेदारी जमाबन्दी में दर्ज रकबे से छोटा कर दिया तथा आवेदक के खातेदारी खसरा नम्बर 27 के नक्शे को उनके जमाबन्दी में दर्ज रकबे से बडा कर दिया। उक्त गलत तरमीन किए जाने से आवेदक के हक अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पडा है खसरा नम्बर 28 को आवेदक ने अपने पिता रघुवीर सिंह से प्राप्त करली। नए खसरा नम्बर 27 व 28 को उनके मूल पुराने खसरा नम्बर 1287 के अनुसार नाप कर जमाबन्दी में दर्ज रकबे के अनुसार नक्शा बनाया जाकर राजस्व रिकार्ड (नक्शा) दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त खसरा नंबर 27 के खातेदारान अनावेदकगण 1 लगा 6 है जो मदन सिंह जी के वारिसान है। उक्त लोगों ने अपने खातेदारी भूमि राजस्व नक्शा लेने पर अपनी भूमिका राजस्व नक्शा बड़ा होने का पता चलने पर उक्त लोगों के मन में बेईमानी आ गई है तथा उक्त लोग जबरदस्ती लाठी के बल पर नक्शे में गलत अंकन के आधार पर आवेदक के हक अधिकारियों को भूमि पर कब्जा करने को आमादा है। जिसका इन्हें कोई अधिकार नहीं है इसके बावजूद भी अनावेदक नंबर 1 लगा 6 आवेदक के हक अधिकारों की खातेदारी की भूमि पर कब्जा करने की धमकी दे रहे हैं और आवेदक के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा कर रहे हैं एवं उक्त आराजी को विक्रय करने की धमकी दे रहे हैं। जिनका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार यदि अनावेदकगण अपनी उक्त नाजायज मंशा में सफल हो गए तो आवेदक को अत्यंत नुकसान होगा तथा आपस में विवाद तथा मुकदमा बाजी बढ़ती रहेगी इसलिए वक्त प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया जाना आवश्यक हुआ है

आवेदक खसरा नंबर 28 रखबा 3.05 हैक्टर की खातेदार काश्तकार है परंतु राजस्व नक्शा में राजस्व कर्मचारियों द्वारा तरमीम गलत कर दिए जाने से आवेदक की खातेदारी का राजस्व नक्शा छोटा हो गया जिससे मौके पर नाप करने से नक्शा व जमाबंदी का रकबा अलग–अलग आ रहा है अर्थात पैमाने के अनुसार माप करने से नक्शे का रकबा जमाबंदी से कम हो गया एवं अनावेदक संख्या 1 लगाए 6 की भूमि खसरा नंबर 27 का नक्शा जमाबंदी में दर्ज रकबे से अधिक हो गया है अर्थात अनावेदक संख्या 1 लगाए 6 को खेत खसरा नंबर 27 नक्शा जमाबंदी में दर्ज रकबे से बड़ा हो गया है जिसके कारण उक्त विवाद की स्थिति पैदा हो गई है एवं अनावेदकगण की सहमति से दुरुस्ती करवाने की बात मानने की तैयार नहीं है तथा सीमा को लेकर विवाद की स्थिति बना रखी है तथा बेचकर विवाद को और अधिक बढ़ाना चाहते हैं। उक्त नक्शा में गलत तरमीम बाबत पूर्व में आवेदक को कभी जानकारी नहीं थी परंतु काश्त के समय सीमा लेकर विवाद हुआ तथा अनावेदकगण द्वारा विक्रय करने की धमकी दी जिस पर आवेदक ने राजस्व रिकॉर्ड की नकल ली तथा उक्त गलत नक्शा तरमीम बाबत जानकारी हुई। आवेदक उक्त आराजी की रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है आवेदक को अपनी खातेदारी की भूमि बाबत समस्त हक अधिकार प्राप्त है इसलिए आवेदक का प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का संतुलन भी आवेदक के पक्ष में है यदि अनावेदकगण अपनी नाजायज मंशा में सफल होकर गलत नक्शे के अंकन के आधार पर आवेदक की खातेदारी भूमि का कब्जा कर लेंगे या विक्रय कर देंगे तो आवेदक को अनावश्यक मुकदमे बाजी में फसना होगा जिससे आवेदक को अपार धन व समय का नुकसान होगा जिसकी गणना करना आर्थिक रूप से किसी भी रूप से संभव नहीं होगा इसलिए अनावेदकगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाना आवश्यक है। अन्य उज्रात वर वक्त बहस अर्ज किए जाएंगे जो प्रार्थना पत्र के आधार होंगे

प्रार्थना पत्र में अनुतोष के संबंध में निवेदन किया कि अनावेदकगणों को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे के दौराने मूल वाद ग्राम रामपुरा [illegible] आवेदक के कब्जे काश्त में कोई दखलअंदाजी पैदा नहीं करें आवेदक को शांति से काश्त करने [illegible] लत रिकॉर्ड के आधार पर आवेदक खसरा नंबर 27 रकबा 3.06 हैक्टर का बेचान नहीं [illegible] रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र पेश होने बाद अवलोकन द[illegible] तलबी अनावेदकगण जारी की गई। अनावेदकगण 01 लगायत 07 की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक से कर[illegible]गई जो एक माह की अवधि में इनकी ओर से कोई भी उपस्थित न्यायालय नही होने इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील आवेदक ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि राजस्व ग्राम रामपुरा की सरहद में आराजी नए खसरा नंबर 28 रकबा 3.05 हैक्टर स्थित है जो आवेदक की कब्जे में काश्त व खातेदारी की भूमि है आवेदक की भूमि के पास ही आराजी नये खसरा नंबर 27

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रै.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:18:44 IST
Reason: SelfAttested

कबा 3.06 हैक्टर स्थित है जो अनावेदक नंबर 1लगायत 6 के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है। उपरोक्त भूमि सरा नंबर 28 के पूर्व में खसरा नंबर खसरा 1287/2 व खसरा नम्बर 27 के पूर्व में खसरा नंबर 1287/रकबा 11 हैक्टर थे। वर्णित खसरा नंबर 1287 रकबा 6.11 हेक्टर के खातेदार पूर्व में मदन सिंह, रघुवीर सिंह पुत्रान वाई सिंह थे जिनका उक्त आराजी खसरा नंबर 1287 रकबा 6.11 हेक्टर में बराबर बराबर हिस्सा था वह दोनों खातेदारान मदन सिंह व सवाई सिंह ने अपने हिस्से के अनुसार उक्त आराजी का बंटवारा कर लिया और अपने अपने हिस्से के अनुसार मौके पर काबिज काश्त हो गए विभाजन के अनुसार खसरा नंबर 1287/2 रकबा 3.05 हेक्टर, जिसमें वर्तमान खसरा नंबर 28 रकबा 3.06 हैक्टर बने। जो रघुवीर सिंह पुत्र सवाई सिंह के हिस्से में आई जिसके रघुवीर सिंह पुत्र सवाई सिंह खातेदार हो गए व खसरा नंबर 1287/1 रकबा 3.06 हेक्टर जिसके वर्तमान खसरा नंबर 27 रकबा 3.06 हैक्टर, है जो मदन सिंह पुत्र सवाई सिंह के हिस्से में आई जिसकी खातेदारी मदन सिंह पुत्र सवाई सिंह के नाम से दर्ज हो गई उक्त विभाजन का इंतकाल संख्या 428 दिनांक 17.06.1992 दर्ज हुआ है इसी अनुसार हक अधिकार थे। उक्त विभाजन के अनुसार नक्शा में खसरा नंबर 1287 की भूमि का बराबर बराबर अंकन करना चाहिए था विभाजन दौरान खसरा नंबर 1287 के राजस्व नक्शा में विभाजन के अनुसार दो टुकड़े खसरा नंबर 1287/1 व 1287/2 बनाए गए जिनके रकबे का अंकन नक्शे में जमाबन्दी में दर्ज खातेदारी के अनुसार नाप जोख कर करना चाहिए था परन्तु राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा विभाजन की नक्शे में तरमीम करके समय लापरवाही पूर्व बिना नाज जोख किये ही आवेदक की खातेदारी की भूमि पुराने खसरा नम्बर 1287/2 रकबा 3.05 हैक्टर (नये खसरा नम्बर 28 रकबा 3.05) का नक्शा छोटा बना दिनया जिसके अनुसार खेत खसरा नम्बर 1287/2 नक्शे में छोटा हो गया व खेत खसरा नम्बर 1287/1 नक्शे में बडा हो गया। जिसका राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों को कोई अधिकार नहीं था जिन्होने विधि विरूद्ध रूप से उक्त नक्शें की गलत तरमीम की है जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। जिसके लिए वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है। खसरा नम्बर 1287/2 व 1287/1 का नक्शा उनकी खातेदारी में दर्ज रकबे के अुनसार सीट के पैमाने के अनुसार नाप जोख कर बनाना चाहिए था। परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने अपनी मर्जी से बिना अपनी मर्जी से बिना किसी नाप जोख कर उक्त विभाजन की गलत तरमीत कर दी। जिसके अनुसार आवेदक के हक अधिकारों व खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 28 का नक्शा राजस्व कर्मचारियों द्वारा उसके खातेदारी जमाबन्दी में दर्ज रकबे से छोटा कर दिया तथा आवेदक के खातेदारी खसरा नम्बर 27 के नक्शे को उनके जमाबन्दी में दर्ज रकबे से बडा कर दिया। अनावेदकगणों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे के दौराने मूल वाद ग्राम रामपुरा खसरा नंबर 28 रकबा 3.05 हेक्टर में आवेदक के कब्जे काश्त में कोई दखलअंदाजी पैदा नहीं करें आवेदक को शांति से काश्त करने देवे तथा गलत रिकॉर्ड के आधार पर आवेदक खसरा नंबर 27 रकबा 3.06 हैक्टर का बेचान नहीं करें। दौराने वाद खसरा नंबर 27 28 के रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु तय करना अनिवार्य है। अतः सर्वप्रथम इन तीन बिन्दुओं को तय करना उचित है :–

1. प्रथम दृष्टया मामला
2. सुविधा का संतुलन
3. अपूरणीय क्षति

1. **प्रथम दृष्टया मामला :–** आवेदक ग्राम रामपुरा खसरा नम्बर 1287/2 व 1287/1 का नक्शा उनकी खातेदारी में दर्ज रकबे के अुनसार सीट के पैमाने के अनुसार नाप जोख कर बनाना चाहिए था। विभाजन के समय बिना किसी नाप जोख कर विभाजन की गलत तरमीत कर दी। जिसके अनुसार आवेदक के हक अधिकारों व खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 28 का नक्शा राजस्व कर्मचारियों द्वारा उसके खातेदारी जमाबन्दी में दर्ज रकबे से छोटा कर दिया तथा आवेदक के [illegible] खसरा नम्बर 27 के नक्शे को उनके जमाबन्दी में दर्ज रकबे से बडा कर दिया। उक्त गलत [illegible] जाने से आवेदक के हक अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पडा है खसरा नम्बर 28 को [illegible] रघुवीर सिंह से प्राप्त कर ली। नए खसरा नम्बर 27 व 28 को उनके मूल [illegible] के अनुसार नाप कर जमाबन्दी में दर्ज रकबे के अनुसार नक्शा बनाया जाकर राजस्व रिकार्ड (नक[illegible]) किया जाना निहायत जरूरी है। खसरा नंबर 27 के खातेदारान अनावेदकगण 1 लगा 6 है जो मदन सिंह जी के वारिसान है। उक्त लोगों ने अपने खातेदारी भूमि राजस्व नक्शा लेने पर अपनी भूमिका राजस्व नक्शा बड़ा होने से यदि अनावेदकगण अपनी उक्त नाजायज मंशा में सफल हो गए तो आवेदक को अत्यंत नुकसान होगा तथा आपस में विवाद तथा मुकदमा बाजी बढेगी। आवेदक खसरा नंबर 28 रखबा 3.05 हैक्टर की खातेदार काश्तकार है परंतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:18:44 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (का. दै.)

राजस्व नक्शा में राजस्व कर्मचारियों द्वारा तरमीम गलत कर दिए जाने से आवेदक की खातेदारी का राजस्व नक्शा छोटा हो गया जिससे मौके पर नाप करने से नक्शा व जमाबंदी का रकबा अलग–अलग आ रहा है अर्थात पैमाने के अनुसार माप करने से नक्शे का रकबा जमाबंदी से कम हो गया एवं अनावेदक संख्या 1 लगाए 6 की भूमि खसरा नंबर 27 का नक्शा जमाबंदी में दर्ज रकबे से अधिक हो गया है अर्थात अनावेदक संख्या 1 लगाए 6 को खेत खसरा नंबर 27 नक्शा जमाबंदी में दर्ज रकबे से बड़ा हो गया है जिसके कारण उक्त विवाद की स्थिति पैदा हो गई है एवं अनावेदकगण की सहमति से दुरुस्ती करवाने की बात मानने की तैयार नहीं है तथा सीमा को लेकर विवाद की स्थिति बना रखी है तथा बेचकर विवाद को और अधिक बढ़ाना चाहते हैं। आवेदक उक्त आराजी की रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है आवेदक को अपनी खातेदारी की भूमि बाबत समस्त हक अधिकार प्राप्त है इसलिए आवेदक का प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का संतुलन भी आवेदक के पक्ष में है यदि अनावेदकगण अपनी नाजायज मंशा में सफल होकर गलत नक्शे के अंकन के आधार पर आवेदक की खातेदारी भूमि का कब्जा कर लेंगे या विक्रय कर देंगे तो आवेदक को अनावश्यक मुकदमे बाजी में फसना होगा जिससे आवेदक को अपार धन व समय का नुकसान होगा। ऐसी परिस्थितियों में आवेदक के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनना पाया जाता है।

2. **सुविधा का संतुलन** :– चूंकि प्रथम दृष्टया मामला आवेदक के पक्ष में होना पाया गया है। तो सुविधा का संतुलन भी आवेदक के पक्ष में बनता है।
3. **अपूरणीय क्षति** :– चूंकि प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में है। अतः आवेदक को अपूरणीय क्षति घटित होनी प्रमाणित होती है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचना अनुसार आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दस्तावेजी साक्ष्य तथा रिकार्डेड खातेदार होने के कारण प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। लिहाजा प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा अनावेदकगणों को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है मूल वाद निस्तारण तक ग्राम रामपुरा खसरा नंबर 28 रकबा 3.05 हेक्टर में आवेदक के कब्जे काश्त में कोई दखलअंदाजी पैदा नहीं करें आवेदक को शांति से काश्त करने देवे तथा गलत रिकॉर्ड के आधार पर आवेदक खसरा नंबर 27 रकबा 3.06 हैक्टर का बेचान नहीं करें। दौराने वाद खसरा नंबर 27 28 के रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 25.04.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:18:44 IST
Reason: SelfAttested